

**गायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)**

ठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.


कदमा नम्बर 327/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

**::आदेश::**

**दिनांक 27.06.2025**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थनापत्र ग्राम डोडखेडा पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक गांरख्या मे तहसीलदार करेड़ा की अनुशंषा एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम डोडखेडा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जमाबंदी संवत् 2075-2078 मे खाता सख्या 83, 84, 85, 86, 30, 104, 201, मे वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	करेड़ा	खाता सख्या 83, 84, 85, 86, 30, 104, 201,	खाता सख्या 83, 84, 85, 86, 30, 104, 201, मे प्रार्थी का नाम रमेशचन्द्र पुत्र गोकल लोहार दर्ज रिकोर्ड है।	खाता सख्या 83, 84, 85, 86, 30, 104, 201, मे प्रार्थी का नाम रमेशचन्द्र पुत्र गोकल लोहार के बजाय रमेशचन्द्र उर्फ रामेश्वर पिता गोकल लोहार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

कंमाक / न्यायालय / 2025 / 327

दिनांक- 27.06.2025

**प्रतिलिपी -**

01. - तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये
02. प्रार्थी रमेशचन्द्र उर्फ रामेश्वर पिता गोकल लोहार निवासी डोडखेडा को सुचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा